# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 8/2019** **दायर दिनांक: 05.02.2019**

**उनवान**

1. पंचायती महाजनान अग्रवाल साकिन मोटपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान जर्ये अध्यक्ष हंसराज आयु 50 वर्ष पुत्र कल्याणमल जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज.

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम**

**उपस्थिति :–**

प्रार्थी:– विद्वान अभिभाषक श्री आर0 पी0 गोयल।

## निर्णय

दिनांक 07.01.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 0.2100 हेक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.3800 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.5300 हेक्टर व खसरा नम्बर 117/2874 रकबा 0.0900 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 1.21 हेक्टर माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है, उपरोक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी पंचायत महाजनान ने पंचायत व सम्पत्तियों की देखभाल विकास एवं सुचारू रुप से कार्य करने संचालित करने के लिये ट्रस्ट बना रखा है उक्त ट्रष्ट का रजिस्ट्रेशन रजिस्टार संस्थाऐ बारां के यहाँ होने पर उन्होने रजिस्ट्रेशन क्रमांक 78 बारां 2016–17 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया हुआ है, उक्त प्रमाणपत्र के मुजब प्रार्थी उक्त [illegible] अध्यक्ष है, और पंचायती महाजनान अग्रवाल समाज मोठपुर की ओर से प्रार्थी हंसराज को यह कार्यवाही प्रस्तुत करने का अधिकार है लिहाजा उक्त प्रार्थनापत्र इसी कदर प्रस्तुत किया [illegible] रहा है। प्रार्थनापत्र [illegible] नम्बर–1 मे वर्णित आराजी के काश्त मेडबंदी हदबंदी इत्यादि को लेकर पडौसी काश्तकारान में आये दिन विवाद बना रहता है, जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजी की समुचित काश्त नहीं कर पाता तथा हदबंदी को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है। प्रार्थी को मानसिक अशान्ति बनी रहती है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:45 IST
Reason: SelfAttested

इन हालात में प्रार्थी के लिये अपने खाते की उपर वर्णित आराजी का सीमाज्ञान हदबंदी व मेडबंदी एवं मुड्डी गडवाना चाहता है, ताकि पडौसी काश्तकारान से हमेशा का विवाद समाप्त हो जाये। प्रार्थी ने इस बाबत तहसीलदार साहब अप्रार्थी से भी निवेदन किया था, लेकिन उन्होने पत्थरगढी हदबंदी कराने से मना कर दिया, केवल साधारण सीमाज्ञान की बात कही इसी कारण दिनांक 23–1–19 को कार्यवाही पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है, तथा हदबंदी को लेकर विवाद भी माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में उत्पन्न हुआ, लिहाजा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि श्रीमान अधीनस्थ अधिकारी की टीम बनाकर प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–1 में वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी, हदबंदी एवं मुडिडयां गडवाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान टीम बनाकर पत्थरगढी करवाने की कृपा करें। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम मोठपुर सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 828 किता 4 रकबा 1.21 है0 खातेदार पंचायती महाजनान अग्रवाल के खाते दर्ज है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 828 किता 4 रकबा 1.21 है0 भूमि का टीम बनाकर प्रार्थी की उपस्थिति में विद्यमान वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावें। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश की जावें। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:47:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**